पत्रांक–11/वि 11–34/2015

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

गिरिवर दयाल सिंह,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक 2019

विषय : उत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–29 दिनांक–05.01.2009, 1510 दिनांक–30.07.2012 एवं 988 दिनांक–18.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण के क्रम में उपलब्ध कराए गए उपस्कर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तक, क्रीडा सामग्री एवं कम्प्यूटर सामग्री की सुरक्षा हेतु संबंधित विद्यालय में दो से कम आदेशपाल/परिचारी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय एवं प्रबंध समिति द्वारा ₹5000/–के मानदेय पर स्थानीय लोगों में से रात्रि प्रहरी (पूर्णतः अस्थायी रूप से) रखने और विद्यालय कोष से मानदेय का भुगतान संबंधी निदेश संसूचित है।

उक्त क्रम में निदेशानुसार निदेशित किया जाता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **बिहार उन्नयन योजना** के अन्तर्गत "Smart Class" हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों की भी सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी की व्यवस्था कराया जाय। साथ ही वैसे विद्यालय, जहाँ दो महिला परिचारी हो, में भी पुरूष रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाय। मानदेय का भुगतान विद्यालय विकास कोष से किया जायेगा।

यदि भविष्य में किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक के कारण किसी सामग्री की चोरी होती है, तो संबंधित सुरक्षा प्रहरी के मानदेय से उसकी प्रतिपूर्ति की जाय। साथ ही, संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक भी इसके लिए जवाबदेह माने जायेंगे।

उक्त निदेश का आवश्यक प्रचार–प्रसार किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(गिरिवर दयाल सिंह)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापांक–11/वि 11–34/2015 1097 पटना, दिनांक 27.06.2019

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/6/19
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

D:/Letter 2018/Director Letter

5. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से संबद्धता प्राप्त सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी उच्च माध्यमिक (+2) स्तरीय शिक्षण संस्थान को उक्त आशय की सूचना लिखित रूप से संसूचित करने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन

अनु०– यथोक्त

18/6/19

(शेखर चन्द्र वर्मा)
निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक 841 / पूर्णिया, दिनांक 17 जुलाई 2019.

प्रतिलिपि:- जिले के सभी सरकारी एवं गैर- सरकारी उच्च माध्यमिक (+2) स्तरीय विद्यालयों/संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न निदेशक (शैक्षणिक) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अकादमिक भवन) बुद्ध मार्ग, पटना के पत्रांक BSEB(SS)/ACD/99/2019 – 119 दिनांक 25.5.2019 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

17/7/19

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा पूर्णिया।

16/7/19

17.7.19

5:00 PM 0.00K/s 4G 59% 59%

Save as PDF

Copies: 1 Paper size: Letter

पत्रांक–11/वि 11–34/2015–1969

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
निदेशक (मा०शि०)
बिहार पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 25-10-2019

विषय– राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था करने के संबंध में

प्रसंग:– निदेशालय का पत्रांक–29, दिनांक–05.01.2009, 1670 दिनांक–30.07.2012, 988 दिनांक–18.06.2018 एवं 1097, दिनांक–27.06.2019 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करना चाहेंगे। विद्यालयों में अधिष्ठापित उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तक, शिक्षण सामग्री, कम्प्यूटर आदि सहित बिहार उन्नयन योजना अन्तर्गत स्मार्ट क्लास हेतु उपलब्ध कराये गये टेलिविजन, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कम्प्यूटर आदि उपकरणों की सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत है। विद्यालय के सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व के दिशा निर्देशों की समीक्षा करते हुए निदेशानुसार निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

1 जिस विद्यालय में दो या उससे अधिक पुरुष आदेशपाल पदस्थापित हैं, वहाँ चक्रानुक्रम (Rotation) में उनसे रात्रि प्रहरी का कार्य लिया जाए। इस प्रकार एक या एक से अधिक आदेशपाल विद्यालय अवधि में कार्य करेंगे और एक आदेशपाल रात्रि प्रहरी का कार्य करेंगे। एक ही आदेशपाल से विद्यालय अवधि के साथ–साथ रात्रि प्रहरी का कार्य नहीं लिया जाए।

2 जिस विद्यालय में मात्र एक पुरुष आदेशपाल या एक पुरुष एवं एक/एक से अधिक महिला आदेशपाल पदस्थापित हैं, तो वहाँ संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय लोगों में से एक रात्रि प्रहरी को अस्थायी रूप से 5000/– रूपये के मासिक मानदेय पर अनुबन्ध पर रखा जा सकता है। उक्त मानदेय का भुगतान विद्यालय विकास कोष की राशि से किया जाए। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा रखे जाने वाले रात्रि प्रहरी से यह शपथ पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि भविष्य में वे स्थायी रूप से नियोजन हेतु दावा नहीं करेंगे। अनुबंध पत्र में अंकित रहेगा कि कार्य में लापरवाही बरतने एवं गंभीर त्रुटि होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर दी जाएगी।

3 वैसे विद्यालय जहाँ विद्यालय प्रबन्धन समिति गठित नहीं है अथवा विद्यालय विकास कोष का संधारण नहीं है, उन विद्यालयों में पूर्व से संचालित विद्यालय शिक्षा समिति स्थानीय व्यक्ति का चयन कर अनुबंध पर रखेगी। अनुबंध पत्र प्रधानाध्यापक के द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

Scanned with CamScanner

4 सुरक्षा में चूक के कारण विद्यालय में अधिष्ठापित किसी सामग्री की यदि चोरी होती है, तो इसके लिए संबंधित रात्रि प्रहरी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक पर जवाबदेही निर्धारित की जायेगी। साथ ही, जाँच में जिसपर लापरवाही प्रमाणित होगी, उनसे चोरी हुई सामग्री के रकम की वसूली उनके वेतन/मानदेय से करते हुए उसे विद्यालय विकास कोष में जमा कराई जायेगी।

5 उक्त निदेश का आवश्यक प्रचार प्रसार संबंधित विद्यालयों के प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच किया जाए एवं निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

(विनोद कुमार सिंह)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापांक–11/वि 11–34/2015–1969 पटना, दिनांक–25-10-2019

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पत्रांक–11/वि 11–34/2015–.....1969

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक (मा०शि०)
बिहार पटना।

संघर्ष पूर्ण वेतनमान

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 25-10-2019

विषयः– राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था करने के संबंध में

प्रसंगः– निदेशालय का पत्रांक–29, दिनांक–05.01.2009, 1570 दिनांक–30.07.2012, 988 दिनांक–18.06.2018 एवं 1097, दिनांक–27.06.2019 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करना चाहेगें। विद्यालयों में अधिस्थापित उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तक, क्रीड़ा सामग्री, कम्प्युटर आदि सहित बिहार उन्नयन योजना अन्तर्गत स्मार्ट क्लास हेतु उपलब्ध कराये गये टेलिविजन, विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कम्प्यूटर आदि उपकरणों की सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत है। विद्यालय के सुरक्षा के मद्‌दनजर पूर्व के दिशा निर्देशों की समीक्षा करते हुए निदेशानुसार निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

1 जिस विद्यालय में दो या उससे अधिक पुरूष आदेशपाल पदस्थापित हैं, वहाँ चक्रानुक्रम (Rotation) में उनसे रात्रि प्रहरी का कार्य लिया जाए। इस प्रकार एक या एक से अधिक आदेशपाल विद्यालय अवधि में कार्य करेंगे और एक आदेशपाल रात्रि प्रहरी का कार्य करेंगे। एक ही आदेशपाल से विद्यालय अवधि के साथ–साथ रात्रि प्रहरी का कार्य नहीं लिया जाए।

2 जिस विद्यालय में मात्र एक पुरूष आदेशपाल या एक पुरूष एवं एक/एक से अधिक महिला आदेशपाल पदस्थापित हैं, तो वहाँ संबंधित विद्यालय के विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय लोगों में से एक रात्रि प्रहरी को अस्थायी रूप से 5000/– रूपये के मासिक मानदेय पर अनुबन्ध पर रखा जा सकता है। उक्त मानदेय का भुगतान विद्यालय विकास कोष की राशि से किया जाए। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा रखे जाने वाले रात्रि प्रहरी से यह शपथ पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि भविष्य में वे स्थायी रूप से नियोजन हेतु दावा नहीं करेंगे। अनुबंध पत्र में अंकित रहेगा कि कार्य में लापरवाही बरतने एवं गंभीर त्रुटि होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर दी जाएगी।

3 वैसे विद्यालय जहाँ विद्यालय प्रबन्धन समिति गठित नहीं है अथवा विद्यालय विकास कोष का संधारण नहीं है, उन विद्यालयों में पूर्व से संचालित विद्यालय शिक्षा समिति स्थानीय व्यक्ति का चयन कर अनुबंध पर रखेगी। अनुबंध पत्र प्रधानाध्यापक के द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

पत्रांक–11/वि 11–34/2015 1097

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

No- 2015
Date- 19/07/19

प्रेषक,

गिरिवर दयाल सिंह,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,

पटना, दिनांक 27-06-2019

विषय : उत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था के संबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक–29 दिनांक–05.01.2009, 1510 दिनांक–30.07.2012 एवं 988 दिनांक–13.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण के क्रम में उपलब्ध कराए गए उपस्कर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तक, क्रीड़ा सामग्री एवं कम्प्यूटर सामग्री की सुरक्षा हेतु संबंधित विद्यालय में दो से कम आदेशपाल/परिचारी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय एवं प्रबंध समिति द्वारा ₹5000/–के मानदेय पर स्थानीय लोगों में से रात्रि प्रहरी (पूर्णतः अस्थायी रूप से) रखने और विद्यालय कोष से मानदेय का भुगतान संबंधी निदेश संसूचित है।

उक्त क्रम में निदेशानुसार निदेशित किया जाता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार उन्नयन योजना के अन्तर्गत 'Smart Class' हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरणों की भी सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी की व्यवस्था कराया जाय। साथ ही वैसे विद्यालय, जहाँ दो महिला परिचारी हैं, में भी पुरुष रात्रि प्रहरी की व्यवस्था की जाय। मानदेय का भुगतान विद्यालय विकास कोष से किया जायेगा।

यदि भविष्य में किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक के कारण किसी सामग्री की चोरी होती है, तो संबंधित सुरक्षा प्रहरी के मानदेय से उसकी प्रतिपूर्ति की जाय। साथ ही, संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक भी इसके लिए जवाबदेह माने जायेंगे।

उक्त निदेश का आवश्यक प्रचार–प्रसार किया जाय।

विश्वासभाजन

27/6/19

(गिरिवर दयाल सिंह)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

ज्ञापांक–11/वि 11–34/2015 1097 पटना, दिनांक 27-06-2019

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/6/19

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।